भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2023

क्रमांक 1685/मप्रविनिआ/2023–विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित उसकी धारा 42, धारा 61 तथा धारा 86 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम 2023 (जी–46, वर्ष 2023),जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम 2023 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) (प्रथम संशोधन), विनियम 2023 {एजी–46(i), वर्ष 2023}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

1.3 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में होगा।

2. **मूल विनियमों के विनियम 3में संशोधन**

मूल विनियमों के विनियम 3(1) के खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्न खण्ड (ञ) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(ञ) **'हरित ऊर्जा निर्बाध खुली पहुंच उपभोक्ता'** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसकी संविदा मांग अथवा स्वीकृत भार, आबद्ध (केप्टिव) उपभोक्ताओं को छोड़कर, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के एक ही विद्युत संभाग में स्थित एकल संयोजन (कनेक्शन) के माध्यम से 100 किलोवाट या अधिक हो या बहुविध संयोजनों के माध्यम से समग्र रूप से, 100 किलोवाट या इससे अधिक हो, या अन्य कोई सीमा जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ इस बारे में निर्दिष्ट की जाए, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन हरित ऊर्जा स्त्रोतों से उनके स्वयं के उपयोग हेतु किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा शासन द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा आमजन को विद्युत आपूर्ति व्यापार में सन्निहित हो, विद्युत की आपूर्ति की जा रही हो तथा इसमें ऐसे व्यक्ति को भी सम्मिलित किया जाएगा जिसका परिसर तत्समय हरित ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, शासन या ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, संयोजित हो ;"

3. **मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन**

मूल विनियमों के विनियम 4 के स्थान पर निम्न विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"4. विस्तार क्षेत्र

ये विनियम इन विनियमों के विनियम 3 के खण्ड 1 के उप–खण्ड (ठ) के अधीन परिभाषित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत की निर्बाध (खुली) पहुंच को अनुज्ञेय करने हेतु लागू होंगे।"

4. मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 9 के छठे परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु यह भी कि दिसम्बर, 2032 तक क्रियाशील की जा चुकी अपतटीय पवन परियोजनाओं से उत्पादित और हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुँच उपभोक्ता को आपूर्ति की गई हरित ऊर्जा के प्रकरणों में अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्त पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 26th July 2023

No 1685/MPERC/2023-In exercise of the powers conferred under Section 181 readwithSection42,Section61andSection86of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003),thereofandallotherpowersenablingit in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity RegulatoryCommissionherebymakesthefollowingRegulations to amend Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations, 2023 (G-46 of 2023) hereinafter referred to as the "**Principal Regulations**",namely-

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF OPEN ACCESS CHARGES AND BANKING CHARGES FOR GREEN ENERGY OPEN ACCESS CONSUMERS) REGULATIONS, 2023

1. **Short Title and Commencement-**

1.1. These Regulations shall be called"**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations, 2023 (First Amendment) (AG-46(i) of 2023).**"

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3. These Regulations shall extend to the whole of the Madhya Pradesh.

2. **Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations.**

The clause (j) of the Regulation 3(1) of the Principal Regulations shall be substituted by the following clause, namely: -

"(j)'**Green Energy Open Access Consumer**' means any person who has contracted demand or sanctioned load of 100 kilowatt. or more,either through single connection or through multiple connections aggregating 100 kilowatt. or more

located in same electricity division of a Distribution Licensee, or such other limit as may be specified by Commission from time to time with the Distribution Licensee, except for captive consumers, who are supplied with electricity from green energy sources for their own use by a Licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under the Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving green energy with the works of a Licensee, the Government or such person, as the case may be;"

3. Amendment to Regulation 4 of the Principal Regulations.

The Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted by the following Regulation, namely:

"4. Scope

These Regulations shall be applicable for allowing Open Access to electricity generated from renewable energy sources as defined under sub-clause (l) of clause (1) of Regulation 3 of these Regulations."

4. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations.

The sixth proviso of the Regulation 9 of the Principal Regulations shall be substituted by the following proviso, namely: -

"Provided also that additional surcharge shall not be applicable in case of green energy is supplied to the Green Energy Open Access Consumer from offshore wind projects, which are commissioned upto December 2032."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.